

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
(श्रमायुक्त का कार्यालय, ई-मेल-labcomjhr@gmail.com)

आदेश

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली 1972 के नियम-25 के उप-नियम (2) के खण्ड (v) के उप खण्ड (b) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रमायुक्त, झारखण्ड द्वारा ठेका श्रमिकों के सेवा शर्तों एवं मजदूरी की दरों का निर्धारण किया गया है।

विभागीय अधिसूचना संख्या-742, दिनांक-25.05.2026 के द्वारा सभी नियोजनों में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 10 % निर्धारित किया गया है।

ठेका श्रमिकों के विभिन्न श्रेणियों के लिए जुलाई, 2025 से दिसम्बर, 2025 (वर्ष-2025 का द्वितीय अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित दिनांक-01.04.2026 की तिथि से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (V.D.A.) की दरें निम्नानुसार होंगी :-

श्रमिकों की कोटि	दिनांक-28.06.2024 से देय मजदूरी प्रतिमाह	दिनांक-01.04.2026 से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (10 %)	कुल मजदूरी प्रतिमाह
अकुशल	12,203.36	1220.34	13,423.70
अर्द्ध कुशल	12,784.72	1278.47	14,063.19
कुशल	16,853.20	1685.32	18,538.52
अति कुशल	19,467.76	1946.78	21,414.54

इस पर श्रमायुक्त, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।


29/6/26
संयुक्त श्रमायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:-1/ठे0म0अ0(श्रमा0)-08/2011 श्र0नि0, 996/11, राँची, दिनांक- 29/06/26
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय प्रेस झारखण्ड, डोरण्डा, राँची-2 को सूचनार्थ एवं आगामी
राजकीय गजट के अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

29/6/26.

संयुक्त श्रमायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:-1/ठे0म0अ0(श्रमा0)-08/2011 श्र0नि0, 996/11, राँची, दिनांक- 29/06/26
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड,
राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/6/26.

संयुक्त श्रमायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:-1/ठे0म0अ0(श्रमा0)-08/2011 श्र0नि0, 996/11, राँची, दिनांक- 29/06/26
प्रतिलिपि:-झारखण्ड, सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/
सभी उपायुक्त/संयुक्त श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/मुख्य कारखाना
निरीक्षक, झारखण्ड/उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक
झारखण्ड/सभी सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/सभी श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक
सहित)/सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/6/26.

संयुक्त श्रमायुक्त,
झारखण्ड, राँची।